अध्याय 1: विहंगावलोकन

1.1 राज्य का परिदृश्य

राजस्थान 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल के साथ देश में सबसे बड़ा राज्य है। यह देश के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित है और उत्तर और उत्तर-पूर्व में पंजाब, हिरयाणा और उत्तर प्रदेश, दिक्षण-पूर्व में मध्य प्रदेश और दिक्षण-पश्चिम में गुजरात राज्यों से परिबद्ध है। इसकी पाकिस्तान के साथ एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। राज्य में अर्ध-शुष्क से लेकर शुष्क तक विविध जलवायु परिस्थितियां हैं। प्रशासिनक रूप से, यह सात संभागों और 33 जिलों में विभाजित है।

राज्य के प्रमुख संकेतक तालिका 1.1 एवं परिशिष्ट 1.1 में दिए गए हैं।

तालिका 1.1: राज्य के प्रमुख संकेतक

संकेतक	वर्ष	इकाई	राजस्थान	भारत
भौगोलिक क्षेत्र*	2011	लाख वर्ग किलो मीटर	3.42	32.87
आबादी*	2011	करोड़	6.85	121.09
दशकीय वृद्धि दर *	2001-2011	प्रतिशतता	21.3	17.7
जनसंख्या घनत्व*	2011	जनसंख्या प्रति वर्ग किलो मीटर	200	382
कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या*	2011	प्रतिशतता	24.9	31.1
लिंगानुपात*	2011	महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष	928	943
साक्षरता दर*	2011	प्रतिशतता	66.1	73.0
प्रति व्यक्ति आय*	2019-20	₹ में	1,18,159	1,35,050
शिशु मृत्यु दर#	2017	प्रति 1,000 जीवित जन्म	38	33
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा#	2013-2017	वर्षो	68.5	69.0
गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या	2011-12	प्रतिशतता	14.7	21.9
(बीपीएल)#				

^{*} आर्थिक समीक्षा 2019-20, राजस्थान सरकार।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या की प्रतिशतता 14.7 प्रतिशत थी जो कि अखिल भारतीय औसत 21.9 प्रतिशत से कम थी। साक्षरता दर अखिल भारतीय औसत 73 प्रतिशत से 6.9 प्रतिशतता बिंदु नीचे थी। वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹1,18,159 रही जोकि अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आय ₹1,35,050 से कम थी।

[#] आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20, भारत सरकार ।

1.1.1 राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) किसी निश्चित समय में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। जीएसडीपी का बढ़ना राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह एक समयाविध में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है।

वर्तमान मूल्यों पर राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में राज्य की जीएसडीपी की वार्षिक वृद्धि दर में प्रवृतियों को तालिका 1.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2: वर्तमान मूल्यों पर राष्ट्रीय जीडीपी की तुलना में जीएसडीपी की प्रवृति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राष्ट्रीय जीडीपी (2011-12	1,37,71,874	1,53,62,386	1,70,95,005	1,90,10,164	2,04,42,233**
श्रृंखला)					
पिछले वर्ष की तुलना में जीडीपी की	10.46	11.55	11.28	11.20	7.53
वृद्धि दर (प्रतिशत में)					
राज्य की जीएसडीपी (2011-12	6,81,482	7,60,750	$8,35,170^{\Sigma}$	9,42,586 [£]	10,20,989##
शृंखला)					
पिछले वर्ष की तुलना में जीएसडीपी	10.69	11.63	9.78	12.86	8.32
की वृद्धि दर (प्रतिशत में)					

स्रोतः भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण (2019-20) और आर्थिक एवं सांस्थिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा (2019-20)।

अनन्तिम अनुमान, ## अग्रिम अनुमान, Σ संशोधित अनुमान-III, E संशोधित अनुमान-I

जैसा कि ऊपर दी गयी तालिका से देखा जा सकता है कि वर्ष 2015-16, 2016-17, 2018-19 और 2019-20 के दौरान, राजस्थान की जीएसडीपी राष्ट्रीय जीडीपी वृद्धि दर की तुलना में उच्च दर से बढ़ी। तथापि, वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य की जीएसडीपी ने पांच वर्षों में सबसे कम वृद्धि दर दर्ज की।

वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन के क्षेत्रवार योगदान में परिवर्तन (2015-16 से 2019-20)

चार्ट 1.1 से प्रकट होता है कि वर्ष 2015-16 से 2019-20 की पांच वर्ष की अविध के दौरान सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) में उद्योगों के सापेक्षिक योगदान में उल्लेखनीय कमी आई है, जो वर्ष 2015-16 में 30.96 प्रतिशत से वर्ष 2019-20 में कम होकर 27.81 प्रतिशत रह गया। कृषि क्षेत्र के सापेक्षिक योगदान में मामूली गिरावट के साथ सेवा क्षेत्र में वृद्धि देखी गई।




चार्ट 1.1: वर्तमान मूल्यों पर जीएसवीए के क्षेत्रवार योगदान में परिवर्तन (वर्ष 2015-16 एवं 2019-20)

स्रोतः आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार।

वर्तमान मुल्यों पर जीएसवीए में क्षेत्रवार वृद्धि

वर्ष 2019-20 के दौरान, गत वर्ष की तुलना में उद्योग और सेवा क्षेत्रों की वृद्धि दर में गिरावट रही। तथापि, गत वर्ष की तुलना में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर में बढ़ोतरी हुई जैसाकि **चार्ट 1.2** से देखा जा सकता है।



चार्ट 1.2: वर्तमान मूल्यों पर जीएसवीए में क्षेत्रवार वृद्धि (वर्ष 2015-16 से 2019-20)

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के संदर्भ में, भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (सीएजी) का राज्य के लेखों से सम्बन्धित प्रतिवेदन, राज्य के राज्यपाल को उनके द्वारा राज्य विधान मंडल के समक्ष रखे जाने हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्य करने वाले कोषालयों, कार्यालयों और ऐसे विभागों जो लेखों को रखने के लिए जिम्मेदार है, के द्वारा प्रदान किए गए वाउचर्स, चालानों और प्रारंभिक एवं सहायक लेखों एवं भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त विवरणों के आधार पर राज्य के वित्त लेखों और विनियोग लेखों को तैयार करता है। ये लेखे महालेखाकार (लेखापरीक्षा -1) द्वारा स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षित किये जाते हैं एवं सीएजी द्वारा प्रमाणित किये जाते हैं।

वर्ष 2019-20 के लिए राज्य के वित्त लेखे और विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन के मुख्य स्रोत हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- वर्ष 2019-20 के लिए राज्य का बजट- राजकोषीय मापदंडों और आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं दोनों के समक्ष अनुमानों के आंकलन के साथ-साथ इसके क्रियान्वयन की प्रभावशीलता के मूल्यांकन और सम्बंधित नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं की अनुपालना;
- कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), राजस्थान द्वारा वर्ष के दौरान राज्य सरकार के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर की गई लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय प्राधिकारियों और कोषालयों के अन्य आंकड़े (आईएफएमएस के साथ-साथ लेखांकन);
- आर्थिक और सांस्थिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार द्वारा जीएसडीपी आंकड़ें एवं राज्य से सम्बंधित
 अन्य सांस्थिकीय आंकडें; और
- वर्ष 2014-20 के दौरान तैयार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

यह विश्लेषण चौदहवें वित्त आयोग (चौविआ) की सिफारिशों, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, भारत सरकार के श्रेष्ठ प्रचलित मानकों और दिशानिर्देशों के संदर्भ में भी किया गया है।

1.3 प्रतिवेदन की संरचना

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संरचना निम्नलिखित चार अध्यायों में संरचित है:

अध्याय I	विहंगावलोकन
	यह अध्याय प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण का वर्णन करता है, सरकारी लेखों की संरचना,
	बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख सूचकांकों के वृहत विश्लेषण और घाटे/अधिशेष सहित राज्य की
	राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन प्रदान करता है।
अध्याय II	राज्य का वित्त प्रबन्ध
	यह अध्याय राज्य के वित्त, गत वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समग्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का
	विश्लेषण, 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृतियों, राज्य के ऋण परिदृश्य

	और राज्य के वित्त लेखों पर आधारित प्रमुख लोक लेखा संव्यवहारों का व्यापक परिदृश्य प्रदान
	करता है।
अध्या -III	बजटीय प्रबंधन
	यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखों पर आधारित है और राज्य सरकार की विनियोजन और
	आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा तथा बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन
	पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।
अध्याय IV	लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग
	यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत लेखों की गुणवत्ता और राज्य सरकार
	के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा, निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के गैर-अनुपालन
	के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।

1.4 सरकारी लेखों की संरचना एवं बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते है:

1. राज्य की समेकित निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266 (1))

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बांड, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां आदि), भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विस्तारित मार्गोपाय अग्रिमों और ऋणों के पुनर्भुगतान के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त धन राशियां शामिल है। इस निधि से भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त कानून के अनुसरण में और उद्देश्यों के लिए एवं निर्धारित रीति के सिवाय किसी भी राशि को विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण की पुर्नअदायगी आदि) राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित (प्रभारित व्यय) होती है और विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। अन्य समस्त व्यय (दत्तमत व्यय) पर विधानमंडल द्वारा मतदान किया जाता है।

2. राज्य की आकस्मिकता निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 267 (2))

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की है जिसे राज्य विधानमंडल ने कानून द्वारा स्थापित किया है और इसे राज्य विधानमंडल द्वारा प्रमाणीकरण लंबित रहने तक अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करने हेतु सक्षम बनाने हेतु राज्यपाल के अधीन रखा गया है। व्यय को संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष को नामे कर इस निधि की प्रतिपूर्ति राज्य की समेकित निधि से की जाती है।

3. राज्य का लोक लेखा (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266 (2))

उपरोक्त के अलावा, सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त समस्त अन्य लोक राशियां, जहां सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, लोक लेखे में जमा की जाती हैं। लोक लेखे में पुर्नअदायिगयाँ जैसे लघु बचतें और भविष्य निधि, जमायें (ब्याज वाली और बिना ब्याज वाली), अग्रिम, आरक्षित निधियां (ब्याज वाली और बिना ब्याज वाली), प्रेषण और उचंत शीर्ष (जिनमें दोनों शीर्ष अस्थायी हैं और समायोजन लंबित है)

सम्मिलित है। लोक लेखे में सरकार के पास उपलब्ध निवल नकद शेष भी सम्मिलित है। लोक लेखा विधानमंडल के मतदान के अध्यधीन नहीं होता है।

भारत में राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण प्रस्तुत करना एक संवैधानिक आवश्यकता है (अनुच्छेद 202)। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' बजट का मुख्य दस्तावेज है। इसके अतिरिक्त, बजट राजस्व खाते पर व्यय को अन्य व्यय से अलग करता है।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, केंद्रीय करों/शुल्कों में राज्यांश तथा भारत सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल है।

राजस्व व्यय में सरकार के वे समस्त व्यय शामिल होते हैं जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। यह सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज और विभिन्न सेवाओं के लिए किए गए व्यय, सरकार द्वारा लिए गए कर्ज पर किये गए ब्याज भुगतान और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (भले ही कुछ अनुदान संपत्ति के निर्माण के लिए हो) से सम्बंधित है।

पूंजीगत प्राप्तियों में सम्मिलित हैः

- ऋण प्राप्तियांः बाजार ऋण, बांड, वित्तीय संस्थानों से ऋण, मार्गोपाय अग्रिम के तहत निवल लेनदेन और केंद्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम आदि;
- गैर-ऋण प्राप्तियांः विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋण और अग्रिमों की वसूलियां;

पूंजीगत व्यय में भूमि अधिग्रहण पर व्यय, भवन, मशीनरी, उपकरण, शेयरों में निवेश और सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं अन्य पक्षों को दिए गये ऋण और अग्रिम शामिल है।

वर्तमान में सरकार में एक लेखा वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यात्मक और आर्थिक दोनों है।

	लेन-देन की विशेषता	वर्गीकरण		
सीजीए द्वारा मुख्य लघु	कार्य-स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि/विभाग	अनुदान के अंतर्गत मुख्य शीर्ष (4-अंक)		
शीर्ष की सूची में	उप-कार्य	उप-मुस्य शीर्ष (2-अंक)		
अधिकृत	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3-अंक)		
राज्यों के लिए छूट	योजना	उप-शीर्ष (2-अंक)		
	उप-योजना	विस्तृत शीर्ष (2-अंक)		
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधि	कार्यात्मक शीर्ष-वेतन, लघु कार्य, इत्यादि (2-अंक)		

कार्यात्मक वर्गीकरण हमें विभाग, कार्यकलाप, योजना या कार्यक्रम और व्यय के उद्देश्य की जानकारी देता है। आर्थिक वर्गीकरण इन भुगतानों को राजस्व, पूंजी, ऋण आदि के रूप में व्यवस्थित करने में मदद करता है। आर्थिक वर्गीकरण 4-अंकीय मुख्य शीर्ष के पहले अंक द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 0 और 1 राजस्व प्राप्तियों के लिए 2 और 3 राजस्व व्यय आदि के लिए है। आर्थिक वर्गीकरण कुछ कार्यात्मक शीर्षों की अंतर्निहित परिभाषा और उनके वर्गीकरण द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, समान्यतः "वेतन" राजस्व व्यय का कार्यात्मक शीर्ष है, "निर्माण" पूंजीगत व्यय का कार्यात्मक शीर्ष है। कार्यात्मक शीर्ष बजट दस्तावेजों में विनियोग की प्राथमिक इकाई है।



चार्ट 1.3: सरकारी लेखो की संरचना

निधि आधारित लेखांकन के साथ लेन-देनों का कार्यात्मक और आर्थिक वर्गीकरण सरकारी गतिविधियों/लेनदेनों के गहन विश्लेषण की सुविधा प्रदान करता है और लोक वित्त पर विधायी अनुश्रवण को सक्षम बनाता है।

बजटीय प्रक्रियाएँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, राजस्थान के राज्यपाल द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के एक विवरण को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में (बजट के रूप में संदर्भित) राज्य विधानमंडल के समक्ष उस व्यय के अनुमानों के साथ-

- जो राज्य की समेकित निधि को प्रभारित हो:
- राज्य की समेकित निधि से किये जाने वाले प्रस्तावित अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए आवश्यक राशियाँ और राजस्व स्वाते पर व्यय को अन्य व्यय से अलग करेगा।

अनुच्छेद 203 के अनुसार उपरोक्त को अनुदानों/विनियोजनों के लिए 55 मांगों के रूप में राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किया गया और इनके अनमोदन के पश्चात, समेकित निधि से आवश्यक राशि के विनियोजन के लिए अनुच्छेद 204 के तहत विधानमंडल द्वारा विनियोग विधेयक पारित किया गया है।

जैसा कि अनुच्छेद 1.2 में उल्लेखित है, राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को तैयार करने के लिए वित्त और विनियोग लेखे मुख्य आंकड़े प्रदान करते हैं। ये लेखे भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा किए गए विभिन्न अंतर-सरकारी और अन्य समायोजनों को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय पर आधारित हैं। यह मानते हुए कि ये प्राप्तियां और व्यय बजट में अनुमानित किये गए और व्यय को राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, वर्ष 2019-20 के लिए राज्य के बजट का बारीकी से अध्ययन करना और बजट में किए गए अनुमानों के संदर्भ में वर्ष के दौरान वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है।

राज्य बजट नियमावली बजट निर्माण की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण और राज्य सरकार को अपने बजटीय अनुमानों को तैयार करने और इसकी व्यय गतिविधियों का अनुश्रवण करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। बजट और राज्य सरकार की अन्य बजटीय पहलों के कार्यान्वयन की लेखा परीक्षा संवीक्षा के परिणामों को इस प्रतिवेदन के अध्याय 3 में वर्णित किया गया है।

1.4.1 वित्त का सूक्ष्मावलोकन

निम्नलिखित तालिका वर्ष 2018-19 के वास्तविकों के साथ-साथ वर्ष 2019-20 के बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण प्रदान करती है।

तालिका 1.3: वर्ष 2019-20 के बजट अनुमानों की तुलना में 2018-19 एवं 2019-20 के वास्तविक (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	घटक	2018-19 वास्तविक	2019-20 ਕਯਟ	2019-20 वास्तविक	बजट अनुमान से वास्तविक का प्रतिशत	जीएसडीपी से वास्तविक का प्रतिशत
1	2	3	अनुमान 4	5	का प्रतिशत 6	का प्रतिशत 7
1	कर राजस्व	57,380	73,743	59,245	80.33	5.8
2	कर-भिन्न राजस्व	18,603	19,124	15,714	82.17	1.5
3	संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा (अ)	41,853	44,462	36,049	81.08	3.5
4	सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान	20,037	26,676	29,106	109.11	2.9
5	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	1,37,873	1,64,005	1,40,114	85.43	13.7
6	ऋण और अग्रिमों की वसूली	15,158	16,192	15,670	96.78	1.5
7	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	20	25	20	80.00	0.0
8	उधार और अन्य देयताएं (ब)	34,473	32,679	37,654	115.22	3.7

³¹ मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष

के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	घटक	2018-19 वास्तविक	2019-20 बजट अनुमान	2019-20 वास्तविक	बजट अनुमान से वास्तविक का प्रतिशत	जीएसडीपी से वास्तविक का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
9	पूंजीगत प्राप्तियां (6+7+8)	49,651	48,896	53,344	109.10	5.2
10	कुल प्राप्तियां (5+9)	1,87,524	2,12,901	1,93,458	90.87	18.9
11	राजस्व व्यय जिसमें	1,66,773	1,91,020	1,76,485	92.39	17.3
12	ब्याज भुगतान	21,695	23,133	23,643	102.20	2.3
13	पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के	799	=	5,198	-	0.5
	लिए सहायतार्थ अनुदान					
14	पूँजीगत व्यय जिसमें (स)	20,751	21,881	16,973	77.57	1.7
15	पूँजीगत परिव्यय	19,638	19,472	14,718	75.59	1.4
16	ऋण और अग्रिम	1,113	2,409	2,255	93.61	0.2
17	कुल व्यय (11+14)	1,87,524	2,12,901	1,93,458	90.87	18.9
18	राजस्व घाटा (5-11)	28,900	27,015	36,371	134.63	3.6
19	प्रभावी राजस्व घाटा (18-13)	28,101	_	31,173	-	3.1
20	राजकोषीय घाटा	34,473	32,679	37,654	115.22	3.7
	{17-(5+6+7)}					
21	प्राथमिक घाटा (20-12)	12,778	9,546	14,011	146.77	1.4

⁽अ) केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से सहित।

1.4.2 सरकार की परिसंपत्तियों और देयताओं का सूक्ष्मावलोकन

सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं और व्यय से सृजित की गई परिसंपत्तियों को संकलित करते हैं। देयताओं में मुख्यतः आंतरिक उधार, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखा प्राप्तियाँ एवं आरक्षित निधियां और परिसंपत्तियां जिनमें मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष सम्मिलित हैं। तालिका 1.4 एवं परिशिष्ट 1.2, 31 मार्च 2020 को देयताओं एवं परिसम्पतियों का सार प्रस्तुत करते हैं।

तालिका 1.4: परिसंपत्तियों और देयताओं की सारांशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयतार्ये				परिसम्पतियाँ							
		2018-19	2019-20	प्रतिशत			2018-19	2019-20	प्रतिशत वृद्धि		
				वृद्धि							
	समेकित निधि										
अ	आन्तरिक ऋण	2,19,311.48	2,42,077.41	10.4	अ	सकल	1,88,108.83	2,02,806.46	7.8		
						पूंजीगत					
						परिव्यय					
ब	भारत सरकार	13,927.40	17,302.50	24.2	ब	ऋण एवं	23,262.49	9,847.92	(-) 57.7		
	से ऋण एवं					अग्रिम					
	अग्रिम										

⁽ब) उधार और अन्य देयताएं: लोक ऋण का निवल (प्राप्तियां-संवितरण) + आकस्मिक निधि का निवल + लोक लेखा का निवल (प्राप्तियां-संवितरण) + प्रारंभिक और अंतिम रोकड़ शेष का निवल।

⁽स) पूंजीगत खाते पर व्यय में पूंजीगत व्यय और संवितरित ऋण एवं अग्रिम सिम्मिलित है।

		देयतायें			परिसम्पतियाँ				
		2018-19	2019-20	प्रतिशत			2018-19	2019-20	प्रतिशत वृद्धि
				वृद्धि					
				आकि	रेमक	ता निधि			
आक	रिमकता निधि	500.00	500.00	-					
				ले	क त	नेखा			
अ	अल्प बचतें,	47,478.08	51,468.62	8.4	अ	अग्रिम	3.21	3.21	-
	भविष्य निधि								
	आदि								
ब	जमायें	28,817.51	33,842.46	17.4	ब	प्रेषण	2.05	10.37	405.9
स	आरक्षित	5,551.37	9,881.68	78.0	स	उचंत एवं	206.65	120.15	(-) 41.9
	निधियां					विविध			
द	प्रेषण	-	-		नव	हद शेष	5,793.75	7,704.41	33.0
					(चि	वेन्हित			
					नि	धियों में			
					नि	वेश सहित)			
					यो	 _	2,17,376.98	2,20,492.52	1.4
					राष	जस्व खाते में	98,208.86	1,34,580.15	37.0
					घा	टा			
	योग	3,15,585.84	3,55,072.67	12.5	यो	П	3,15,585.84	3,55,072.67	12.5

स्रोतः वित्त लेखे

वर्ष 2019-20 के दौरान, गत वर्ष की तुलना में परिसंपत्तियां 1.4 प्रतिशत जबकि देयताएँ 12.5 प्रतिशत बढ़ी।

1.5 राजकोषीय संतुलनः घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

घाटे की प्रकृति सरकार के विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन का एक संकेतक है। इसके अतिरिक्त, वे तरीके जिनसे घाटे को वित्तपोषित किया जाता है, और जुटाये गए संसाधनों का उपयोग करना राज्य की राजकोषीय स्थिति के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। यह भाग इन घाटों के वित्त पोषण की प्रवृति, प्रकृति, परिमाण एवं तरीके और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए राजस्थान एफआरबीएम अधिनियम/नियमों के तहत निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में राजस्व और राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तर के आकलन को भी प्रस्तुत करता है।

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, राज्य में विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन सुनिश्चित करने एवं राजकोषीय स्थिरता बनाये रखने के उद्देश्य से, राज्य सरकार द्वारा अपना 'राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया गया था। इसको वर्ष 2011 एवं 2016 में संशोधित किया गया। इसके अतिरिक्त, चौदहवें वित्त आयोग ने भी राज्य के राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिए रोडमैप का सुझाव दिया।

राज्य की राजकोषीय स्थिति की समीक्षा में निम्नलिखित बिन्दु दृष्टिगत हुयेः

(i) एफआरबीएम अधिनियम की धारा 6 (क) में किये गये प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2011-12 से शून्य राजस्व घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करना था और उसके बाद इसे बनाये रखना था अथवा राजस्व अधिशेष की स्थिति को प्राप्त करना था। तथापि, राज्य सरकार केवल वर्ष 2011-12 और 2012-13

³¹ मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष

के दौरान ही राजस्व अधिशेष को बनाए रख सकी और उसके बाद वर्ष 2019-20 तक लगातार सात वर्षों के दौरान राजस्व घाटा रहा है।

गत छः वर्षों के दौरान राजस्व घाटे/अधिशेष के सन्दर्भ में बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों एवं वास्तविक आँकड़ों की स्थिति को नीचे सारांशीकृत किया गया हैं:

तालिका 1.5: बजट अनुमान, संशोधित अनुमान तथा वास्तविकों के संदर्भ में राजस्व घाटे/अधिशेष की स्थिति
(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16*	2016-17*	2017-18*	2018-19		2019-20	
					उदय सहित	उदय रहित	उदय सहित	उदय रहित
बजट	(+) 738	(+) 557	(-) 8,802	(-) 13,528	(-) 17,455	(-) 5,455	(-) 27,015	(-) 13,199
अनुमान								
संशोधित	(-) 4,220	(-) 5232	(-) 17,838	(-) 20,166	(-) 24,825	(-) 12,825	(-) 28,041	(-) 14,225
अनुमान								
वास्तविक	(-) 3,215	(-) 5,954	(-) 18,114	(-) 18,535	(-) 28,900	(-) 16,900	(-) 36,371	(-) 22,555

^{*} उदय के प्रभाव सहित1

उपरोक्त तालिका से यह दृष्टिगत होता है कि राजस्व घाटा ₹ 36,371 करोड़ रहा जो कि बजट अनुमानों (₹ 27,015 करोड़) एवं संशोधित अनुमानों (₹ 28,041 करोड़) में लगाये गए अनुमानों से अधिक रहा। उपरोक्त तालिका यह भी इंगित करती है कि वर्ष 2014-15 से 2019-20 के लिए बजट अनुमान दोषपूर्ण थे क्योंकि इन वर्षों के दौरान संशोधित अनुमानों और वास्तविकों में बजट अनुमानों की तुलना में निरन्तर एवं उल्लेखनीय गिरावट देखी गयी।

राज्य सरकार वर्ष 2019-20 के दौरान राजस्व घाटे को बजट अनुमानों तक सीमित रखने में असमर्थ रही क्योंकि ₹ 1,64,005 करोड़ के बजट अनुमान के समक्ष वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 1,40,114 करोड़ (जीएसटी के लागू होने के कारण हुई राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति हेतु भारत सरकार से प्राप्त ₹ 4,440 करोड़ सिहत) अर्थात् 14.57 प्रतिशत (₹ 23,891 करोड़) से कम रही, जबिक ₹ 1,91,020 करोड़ के बजट अनुमानों के समक्ष वास्तविक राजस्व व्यय ₹ 1,76,485 करोड़ अर्थात् मात्र 7.61 प्रतिशत (₹ 14,535 करोड़) से कम रहा।

इस प्रकार, बजट की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में अधिक गिरावट और व्यय पर अपेक्षाकृत कम नियंत्रण राजस्व घाटे में वृद्धि का कारण रहा जो यह इंगित करता है कि राज्य को राज्य का बजट तैयार करते समय प्राप्तियों और व्यय के अधिक यथार्थवादी अनुमान लगाने की आवश्यकता है।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं अवगत कराया (दिसम्बर 2020) कि राज्य की अर्थ व्यवस्था में आई मंदी के कारण राजस्व प्राप्तियों के लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके। इसके अलावा, मुख्यतः वेतन, पेंशन, इत्यादि

^{1.} उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय), विद्युत वितरण कम्पनियों के वित्तीय कुप्रबंधन के स्थायी समाधान के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किया गया वित्तीय काया कल्प एवं पुनरुद्वार पैकेज है।

प्रतिबद्ध व्यय जिनको कम नहीं किया जा सकता था, के कारण राजस्व व्यय की अपेक्षा राजस्व प्राप्तियों में ज्यादा गिरावट आयी।

(ii) एफआरबीएम अधिनियम की धारा 6 (स्व) (2011 में संशोधित) में वित्तीय वर्ष 2011-12 तक राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक रखने तथा उसके बाद इस अनुपात को बनाये रखने या इसे कम करने की परिकल्पना की गई थी। चौदहवें वित्त आयोग ने भी राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक बनाए रखने की सिफारिश की थी।

गत तीन वर्षों के दौरान राजकोषीय घाटे-जीएसडीपी अनुपात की प्रवृत्ति को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 1.6: बजट अनुमान/संशोधित अनुमान तथा वास्तविक के संदर्भ में राजकोषीय घाटे की स्थिति

वर्ष	बजट अनुमान संशोधित अनुमान		वास्तविक
2017-18	2.99	3.46	3.03
2018-19	2.98	3.39	3.66
2019-20	3.19	3.16	3.69

वर्ष 2019-20 के दौरान यह दृष्टिगत हुआ कि जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा, एफआरबीएम अधिनियम और चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत निर्धारित किये गये 3 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में अधिक था। राजकोषीय घाटा ₹ 37,654 करोड़ रहा जो कि बजट अनुमानों (₹ 32,679 करोड़) एवं संशोधित अनुमानों (₹ 32,214 करोड़) में किये गए आंकलन से अधिक था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं अवगत कराया (दिसम्बर 2020) कि राजस्व प्राप्तियों के लक्ष्य राज्य की अर्थ व्यवस्था में मंदी के कारण प्राप्त नहीं किये जा सके।

(iii) राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कुल बकाया देयताओं की सीमा जीएसडीपी के 34.0 प्रतिशत तक निर्धारित करने के लिए एफआरबीएम अधिनियम की धारा 6 (ग) के प्रावधानों में संशोधन किया गया (अप्रैल 2016)। तथापि, वर्ष 2019-20 के दौरान देयताओं का जीएसडीपी से अनुपात 34.55 रहा, जो कि एफआरबीएम अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा से अधिक था।

तालिका 1.7: एफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय संकेतक	अधिनियम में	नेयम में उपलब्धियां					
	निर्धारित राजकोषीय	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	
	लक्ष्य						
राजस्व घाटा (-)/अधिशेष	राजस्व	-5,954	-18,114	-18,535	-28,900	-36,371	
(+)	अधिशेष	×	×	×	×	×	
	तीन प्रतिशत	-63,070	-46,318	-25,342	-34,473	-37,654	
		(-9.25)	(-6.09)	(-3.03)	(-3.66)	(-3.69)	

राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+) (जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में)		×	×	×	×	×
कुल बकाया देयताओं का	लक्ष्य	36.50	36.50	35.50	35.00	34.00
जीएसडीपी से अनुपात	उपलब्धि	30.73	33.52	33.67	33.03	34.55
(प्रतिशत में)		>	>	~	~	×

चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए राजकोषीय वातावरण और राजकोषीय सुदृढ़ीकरण रोडमैप की सिफारिश की थी। जिसमें (क) वार्षिक बजट प्रावधान के उपयुक्त गुणज के रूप में नए पूंजीगत कार्यों की स्वीकृति के लिए एक वैधानिक सीमा निश्चित करना (ख) मौजूदा एफआरबीएम अधिनियम को अनुच्छेद 293 (1) के तहत देयता सीमा एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान द्वारा प्रतिस्थापित करना शामिल था।

विभाग ने अवगत कराया (दिसम्बर 2020) कि राज्य ने नए पूंजीगत कार्यों की स्वीकृति के लिए वैधानिक सीमा की सिफारिश को कार्यान्वित नहीं किया है क्योंकि यह व्यावहारिक नहीं थी। इसके साथ, ऋण सीमा एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान सम्बन्धी सिफारिश को मौजूदा एफआरबीएम अधिनियम में संशोधित करके लागू कर दिया गया।

वर्तमान वर्ष के लिए मध्यकालिक राजकोषीय नीति (एमटीएफपी) में राजकोषीय मापदंडों के निर्धारित किए गये लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक जो राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किये गये, को नीचे तालिका में प्रदर्शित किया गया है:

तालिका 1.8: 2019-20 के लिए एमटीएफपी में किये गये अनुमानों के साथ-साथ वास्तविक

(₹ करोड़ में)

क्र.	राजकोषीय मापदंड	एमटीएफपी के	वास्तविक	अंतर
सं.		अनुसार अनुमान	(2019-20)	(प्रतिशत में)
1	स्व-कर राजस्व	73,743	59,245	(-) 19.67
2	कर-भिन्न राजस्व	19,124	15,714	(-) 17.83
3	केन्द्रीय करों का हिस्सा	44,462	36,049	(-) 18.92
4	भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान	26,676	29,106	9.11
5	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	1,64,005	1,40,114	(-) 14.57
6	राजस्व व्यय	1,91,020	1,76,485	(-) 7.61
7	राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+) (5-6)	(-) 27,015	(-) 36,371	34.63
8	राजकोषीय घाटा (-)/अधिशेष (+)	(-) 32,678	(-) 37,654	15.23
9	ऋण-जीएसडीपी अनुपात (प्रतिशत में)	33.19	34.55	4.10
10	वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.24	8.32	(-) 18.75


जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है, दो प्रमुख राजकोषीय मापदंडों अर्थात राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे के संदर्भ में वास्तविक, एमटीएफपी के अनुमानों से अधिक थे एवं वर्ष के अंत में एमटीएफपी में अनुमानित देयता से जीएसडीपी का अधिक अनुपात और जीएसडीपी में कम वृद्धि के साथ देयता-जीएसडीपी अनुपात और जीएसडीपी की वृद्धि दर से संबंधित अनुमानों को पूरा नहीं किया गया।

चार्ट 1.4 और 1.5 वर्ष 2015-20 की अवधि में घाटे के संकेतकों की प्रवृति को दर्शाते है।


-5954 -5954 -11062 -5622 -6269 -12778 -14011 -10000 18114 18535 9114 -20000 -28900 23020 -30000 36371 -28641 -25342 23946 51062 -40000 34473 -37654 -50000 -46318 -60000 -63070 -70000 2015-16* 2015-16 2016-17* 2017-18 2019-20 2016-17 2018-19 राजस्व घाटा -5954 -5954 -9114 -18114 -18535 -28900 -36371 राजकोषीय घाटा -23020 -63070 -23946 -46318 -25342 -34473 -37654 प्राथमिक घाटा -11062 -51062 -6269 -28641 -5622 -12778 -14011 राजस्व घाटा राजकोषीय घाटा प्राथमिक घाटा

चार्ट 1.4: घाटे के संकेतकों की प्रवृति

*उदय रहित



चार्ट 1.5: जीएसडीपी के सन्दर्भ में घाटे (उदय सहित) के संकेतकों की प्रवृतियाँ



चार्ट 1.6: राजकोषीय देयताओं और जीएसडीपी की प्रवृत्तियाँ (₹ करोड़ में)

2019-20 के दौरान, आंतरिक ऋण में 10.38 प्रतिशत (₹ 22,765 करोड़), लोक लेखा दायित्वों में 19.44 प्रतिशत (₹15,187 करोड़) तथा केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिमों में 24.24 प्रतिशत (₹ 3,376 करोड़) की वृद्धि के कारण, राजकोषीय देयतायें गत वर्ष की तुलना में 13.27 प्रतिशत से (₹ 41,328 करोड़) बढ़ गई।

31 मार्च 2020 को विद्यमान ₹ 3,52,702 करोड़ की राजकोषीय देयतायें, जिनमें उदय के तहत ₹ 44,730 करोड़ की बकाया उधारी जरी किये गए गैर वैधानिक तरलता अनुपात (एस.एल.आर) बॉण्ड एवं जब्ती बॉण्ड के कारण, राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण का गठन करते है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, जीएसडीपी से राजकोषीय देयता (कुल बकाया ऋण) का अनुपात (34.55 प्रतिशत) एफआरबीएम लक्ष्य (34.0 प्रतिशत), चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा (24.4 प्रतिशत), के साथ-साथ राज्य सरकार के एमटीएफपी लक्ष्य (33.13 प्रतिशत) से अधिक था। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार की वार्षिक वृद्धिजन्य उधार² (₹ 41,328 करोड़), चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक उधारों की सीमा (₹ 33,216 करोड़) से अधिक थी।

^{2.} इसमें खुले बाजार से उधार, वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से अनुबन्धित ऋण, राष्ट्रीय अत्य बचत निधि से ऋण, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं सिहत केन्द्रीय सरकार से ऋण, राज्य आयोजनागत योजनाओं एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए कोई ऋण, अल्प बचत के अंतर्गत लोक लेखा अन्तरण से उत्पन्न अन्य देयतायें, प्रावधायी निधि, आरक्षित निधियाँ, जमाएँ, इत्यादि शामिल हैं।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा अवगत कराया (दिसम्बर 2020) कि भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त उधार अनुमत्य होने के कारण ऋण-जीएसडीपी अनुपात थोड़ा ही अधिक था।

1.6 लेखापरीक्षा जाँच के पश्चात घाटा एवं कुल देयतायें

राज्य के वित्त की बेहतर तस्वीर पेश करने के लिए, राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत करने और बजट से इतर राजकोषीय संव्यवहार करने की प्रवृत्ति पाई जाती है।

1.6.1 लेखापरीक्षा पश्चात-घाटा

राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय में गलत वर्गीकरण एवं बजट से इतर राजकोषीय संव्यवहार घाटे के आंकड़ों को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त, सुस्पष्ट दायित्वों को टाल देना, समेकित निधि में उपकर/रॉयल्टी जमा नहीं करना, नयी अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस), डूबत और मोचन निधि में कम अंशदान, आदि भी राजस्व और राजकोषीय घाटे को प्रभावित करते हैं। घाटे के वास्तविक आंकड़ों पर पहुंचने के लिए ऐसी अनियमितताओं के प्रभाव को उलटने की आवश्यकता होती है।

तालिका 1.9: लेखापरीक्षा जाँच के पश्चात राजस्व एवं राजकोषीय घाटा

विवरण	राजस्व घाटे पर	राजकोषीय घाटे पर	
	प्रभाव (कम आँका	प्रभाव (कम आँका गया)	
	गया) (₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)	
परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों एवं सरकार के	83.27	83.27	
अंशदान का कम अन्तरण			
राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राज्य आपदा	784.60	784.60	
मोचन निधि का निधि में अन्तरण नहीं करना			
राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि में उपलब्ध शेष पर ब्याज जमा नहीं करना	55.95	55.95	
राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि को डीजल और पेट्रोल पर उपकर का	252.51	252.51	
हस्तांतरण नहीं करना			
पर्यावरण सुधार और स्वास्थ्य निधि को पर्यावरण और स्वास्थ्य उपकर का	0.85	0.85	
हस्तांतरण नहीं करना			
निधि को जल संरक्षण उपकर का हस्तांतरण नहीं करना	86.17	86.17	
गाय एवं उसकी संतति के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए मुद्रांक शुल्क पर	227.52	227.52	
उपकर का हस्तांतरण नहीं करना			
ब्याज-सहित आरक्षित निधियों एवं जमाओं पर ब्याज को जमा नहीं करना	13.42	13.42	
राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को श्रम उपकर	30.23	30.23	
का हस्तांतरण नहीं करना			
योग	1,534.52	1,534.52	

स्रोतः वित्त लेखा और लेखा परीक्षा विश्लेषण।

यह स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार द्वारा ₹ 1,534.52 करोड़ कम हस्तांतरित किये गये, इस प्रकार, उतनी ही सीमा तक राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को कम आँका गया।

³¹ मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष

1.6.2 लेखापरीक्षा पश्चात - कुल लोक ऋण

राजस्थान एफआरबीएम अधिनियम, 2005 के अनुसार, कुल दायित्व से अभिप्रायः राज्य की समेकित निधि एवं सामान्य प्रावधायी निधि सहित राज्य के लोक लेखा के अंतर्गत सुनिश्चित देयताओं से है।

तालिका 1.10: लेखापरीक्षा जाँच के पश्चात सकल ऋण

1.		लेखों के अनुसार सकल	जीएसडीपी के
		ऋण (₹ 3,52,701.80	प्रतिशत के रूप में
		करोड़)	(34.55 प्रतिशत)
2.	समग्र ऋण (कम आँका गया) पर प्रभाव के कारण		
	(₹ करोड़ में)		
अ	(i) बजट से इतर राजकोषीय संव्यवहारों जैसे राज्य सरकार	1,901.54	0.18
	के माध्यम से विभिन्न जिला परिषदों द्वारा ली गई उधारें जिनके		
	मूल और/या ब्याज को राज्य के बजट से चुकाया जाना है।		
	(ii) बजट से इतर राजकोषीय संव्यवहारों जैसे राज्य सरकार	1,000.00	0.10
	के माध्यम से राजस्थान कृषि विपणन मण्डल द्वारा ली गई उधारें		
	जिनका मूल और/या ब्याज राज्य के बजट से चुकाया जाना है।		
ब	राज्य सरकार के डिपोजिट कार्यों के निष्पादन के लिए राज्य	=	-
	सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों/निगमों, एसपीवी, इत्यादि द्वारा		
	स्वयं की निधियों जिनको राज्य सरकार द्वारा उधार के माध्यम		
	से पोषित किया जाना था, का परिनियोजन।		
स	राज्य सरकार के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र की	-	-
	कंपनियों/निगमों, एसपीवी, इत्यादि को उनके द्वारा लिए गए		
	ऋणों के मूलधन/ब्याज घटक की प्रतिपूर्ति का अभावः		
	(i) वर्ष 2019-20 के लिए	-	-
	(ii) विगत वर्षों के लिए	_	=
	योग 2(अ+ब+स)	2,901.54	0.28
	योग (1+2)	3,55,603.34	34.83

इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बजट से इतर ₹ 2,901.54 करोड़ की राशि के राजकोषीय संव्यवहारों के परिणामस्वरूप कुल ऋण को जीएसडीपी के 0.28 प्रतिशत से कम दर्शाया गया।